न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 126/2018 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी दावा :

किशना पुत्र मांगीलाल जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक(राज)
2. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री बंशीलाल कलवार **पेरोकार सरकार**

अधिवक्ता वादी

वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की कब्जा–काश्त व खातेदारी की भूमि साबिका ख0नं0 2340 मी0 रकबा क्रम संख्या 11(2)(2) भूमि वाके तनग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान मे अवस्थित है, जो वादी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.1965 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामान्तकरण संख्या 176 वादी के नाम भरा जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2033 से 2036 में वादी के नाम इन्द्राज किया गया था तभी से उक्त भूमि पर वादी का कब्जा–काश्त निरन्तर आज–तक चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात के आलावा वादी की कब्जे–काश्त व खातेदारी की आराजी भूमि साबिका ख0नं0 4269 रकबा 11 बीघा 2 बिसवा ख0नं0 4288 रकबा 2 बिसवा ख0नं0 4295 रकबा 39 बीघा 16 बीसवा हिस्सा 1/4 ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, को वादी ने जरिए नामान्तकरण संख्या 28 जमाबंदी सवंत 2033 से 2036 में वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हाल ही में देवली तहसील मे सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमिताए की गई है। वादी की उपरोक्त आराजीयात को हाल ख0नं. 6128/3028 रकबा 0.14 है0 खातेदारी का अंकन गलत नाम से किशना उर्फ शंकर पुत्र मांगीलाल जाट निवासी दूनी के नाम करके जमाबंदी सवंत 2070 से 2073 में कर दिया है। जबकि वादी का नाम किशना पुत्र मांगीलाल जाट निवासी दूनी है। वादी अपने नाम के आगे उपनाम (उर्फियत) नही लगता है तथा वादी की जाति व समाज में उर्फियत लगाने का कोई रिवाज भी प्रचलित नही है। वादी के नाम किशना के आगे उर्फ शंकर का राजस्व रिकार्ड में अवैध एवं मनमाना अंकन बिना किसी आधार के दौराने सेटलमेन्ट में किया गया है। इन्द्राज जिसकी दुरूस्ती न्यायहित में किया जाना आवश्यक है। इसलिए

राजस्व रिकार्ड चालू जमाबंदी में खातेदार किशना के आगे लिखे गये उर्फ शंकर को डिलीट किया जाकर रिकार्ड में शुद्ध अंकन किशना पुत्र मांगीलाल जाट के नाम किये जाने के आदेश फरमाये जावें। तद्नुसार वर्तमान जमाबंदी ग्राम दूनी की आराजीयात खसरा नं0 1244 रकबा 2.61 है0 ख0नं0 3028 रकबा 0.08 है0 ख0नं0 6128/3028 रकबा 0.14 है0 की खातेदारी का अंकन आपेक्षित शुद्ध इन्द्राज के अनुसार किया जावे तथा अशुद्ध इन्द्राज " उर्फ शंकर" को हटाया जाने के आदेश फरमावें जावे।

वादी की खातेदारी में वादी के नाम के आगे उपनाम यानि उर्फियत अतिरिक्त रूप से शामिल करने का सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियो को कोई अधिकार बिना सक्षम अधिकारी या कोर्ट के आदेश के प्राप्त नहीं है। वादी के नाम किशना के आगे उर्फ लिखा जाना व अंकित किया जाना लिपिकीय त्रुटि या गलती से किया गया है, भूलवश अवैध व अनियमित इन्द्राज है, जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। शंकर नाम का कोई व्यक्ति मांगीलाल का पुत्र नहीं है।वादी ने अपने अभिकथनो की पुष्टि में निम्न दस्तावेज दावे के साथ पेश किये है जिनसे वादी के अभिकथनो की पुष्टि होती है जो निम्न प्रकार है:– प्रमाणित प्रति आधार कार्ड, प्रमाणित प्रति राशन कार्ड, खसरा भू प्रबंध विभाग पर्चा खतौनी सेटलमेंट, वोटरलिस्ट, पारिवारिक वंशावली, नक्शा ट्रेस, विभिन्न संस्थाओ के प्रमाण पत्र, नकल नामान्तकरण संख्या 176, नकल जमाबंदी 2033 से 2036 नकल नामान्तकरण संख्या 28 दूनी, नकल जमाबंदी संख्या 143 सवंत 2070 से 2073 उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी किशना पुत्र मांगीलाल जाट निवासी दूनी का नाम काफी अर्से से प्रचलित है तथा वादी किशना के नाम के आगे उर्फ शंकर लगाया जाना गलत अंकन है जो अतिविश्वसनीय एवं अवैध अंकन है, को हटाया जाकर शुद्ध अंकन केवल किशना पुत्र मांगीलाल किया जावे। ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा नही होवे तथा अन्य कोई व्यक्ति फर्जी रूप से खड़ा होकर शंकर के रूप में वाद वर्णित आराजीयात का विक्रय व रहन, दान नही कर सके इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जावे कि उर्फ शंकर के नाम के व्यक्ति को उक्त आराजीयात में कब्जे–काश्त की मजाहमत करने या अन्य किसी व्यक्ति को रहन, दान बे वसीयत नही करे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– चरण संख्या 1 स्वीकार है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है। चरण संख्या 3 मिलान क्षैत्रफल सही नहीं है, अस्वीकार है। चरण संख्या 4 अस्वीकार है। चरण संख्या 5, 6 वादी स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 7 ता 10 कानूनी है। उक्त पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट नहीं है पूर्ण रिकॉर्ड एवं हाल रिकॉर्ड का मिलान क्षैत्रफल स्पष्ट नहीं मिलता है।

तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श कराये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 आधार कार्ड प्रदर्श–2 व 3 नामान्तकरण संख्या 176 व 28, ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–4 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–6 हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77, प्रदर्श–7, 8 मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श–9 निर्वाचन नामावली सन् 1983 पेश किये है।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र स्वयं किशना पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी व पी. डब्ल्यू–2 लादूराम पुत्र रामजीवन जाति जाट निवासी नयागांव ग्राम पंचायत देवीखेड़ा तहसील देवली के पेश किये। साक्ष्य वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दाहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा क्रय की गई आराजी साबिक ख. नं. 2340 मिन, ख. नं. 4269, 4288, 4295 वादी के नाम जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में दर्ज रिकॉर्ड थी परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियो ने बिना किसी न्यायालय आदेश के वादी का नाम किशना उर्फ शंकर पुत्र मांगीलाल जाट दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जबकि वादी का नाम केवल किशना ही है। वादी ने कभी उर्फ शब्द का प्रयोग किसी भी दस्तावेज में नहीं है । अतः वादी के नाम में उर्फ व शंकर को विलोपित कर केवल किशना पुत्र मांगीलाल ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे ताकि वादी को इस नाम के कारण कोई परेशानी नहीं हो। अतः वाद वादी डिक्री किया जावे।

तनकीवार निर्णयः–

1. **आया वादी आराजी हाल ख. नं. 1244 रकबा 2.61 है0, ख. नं. 3028 रकबा 0.08 है0, ख. नं. 6128/3028 रकबा 0.14 है0 वाके तनग्राम दूनी तहसील दूनी के राजस्व रिकॉर्ड में चालू जमाबन्दी में वादी के नाम के आगे अंकित उर्फ शंकर को विलोपित करवाकर किशना पुत्र मांगीलाल जाट निवासी दूनी शुद्ध करवाकर व इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने का हकदार है?**

   तनकी नं. 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इसके लिए प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2033–36 पेश की जिसमें ख. नं. 2340 मिन, ख. नं. 4269, 4288, 4295 के कॉलम 4 में वादी का नाम किशना पुत्र मांगीलाल कौम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल साबिक ख. नं. 2340 मिन से ख. नं. 3027 व 3028 तथा ख. नं. 4295, 4269 से ख. नं. 1244 बनना दर्शित है। प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 नामान्तकरण पंजिका दूनी नामान्तकरण संख्या 176 व 28 में भी किशना पुत्र मांगीलाल दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि जमाबन्दी सम्वत 2074–77 वाके ग्राम दूनी के ख. नं. 1244, 3028, 6128/3028 में वादी का नाम किशना उर्फ शंकर पुत्र मांगीलाल के नाम से दर्ज है। उक्त प्रदर्शित दस्तावेज के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज प्रदर्श–1 आधार कार्ड, विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1965, बड़वा की पौथी सम्वत 1016, पंचनामा, सहकारी समिति का प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.86, प्रदर्श–9 निर्वाचन नामावली 1983 भाग संख्या 26, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम किशना पुत्र मांगीलाल ही दर्ज है। उक्त प्रदर्शित दस्तावेज व साक्ष्य शपथ पत्र के द्वारा वादी ने यह सिद्ध किया है कि वादी का नाम केवल किशना पुत्र मांगीलाल ही है। उर्फ व शंकर नाम का इस आराजी से सम्बन्ध नहीं है। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया वादी विवादित आराजीयात मे उर्फियत शंकर नाम का व्यक्ति वादी के कब्जेकाश्त में स्वयं, जरिये एजेन्ट , नौकर चाकर मजामहत नहीं करने व अन्य को रहन, दान, बेचान नहीं करने बाबत उर्फियत तथाकथित शंकर नाम के व्यक्ति को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है?**

   तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार इस आराजीयात में उर्फ शंकर नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं होने से यह तनकी नल एण्ड वोईड है।

3. आया प्रतिवादीगण हाल रिकॉर्ड व पूर्व रिकॉर्ड के मिलान नहीं होने के कारण वाद खारिज योग्य है?

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। प्रदर्श–5 प्रदर्श–5 मिलान क्षैत्रफल साबिक ख. नं. 2340 मिन से ख. नं. 3027 व 3028 तथा ख. नं. 4295, 4269 से ख. नं. 1244 बनना दर्शित है। जो लगभग मिलान क्षैत्रफल से साबित है। वाद वादी के नाम में उर्फ व शंकर नाम को विलोपित करने के लिए किया गया है जिसको तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित किया है जबकि पेरोकार सरकार ने इस तनकी को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है। इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि सम्वत 2033–36 की जमाबन्दी व नामान्तकरण पंजिका, व अन्य सरकारी रिकॉर्ड में वादी का नाम किशना पुत्र मांगीलाल दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रतीत होता है कि बाद भू–प्रबन्ध भूलवश अथवा लिपिकीय त्रुटिवश वादी का नाम के साथ उर्फ शंकर जोड़ दिया गया जो कि गलत है, शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खसरा नम्बर 1244 रकबा 2.61 है0, खसरा नम्बर 3028 रकबा 0.0800, खसरा नम्बर 6128/3028 रकबा 0.14 है0 गै. मु. आबादी में "उर्फ शंकर" को विलोपित कर किशना पुत्र मांगीलाल जाट दर्ज राजस्व अभिलेख करने हेतु तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अर्जी अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक...

किशना पुत्र मांगीलाल जाति जाट उम्र 60 वर्ष निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादी –

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर टोंक(राज)
2. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

<u>वाद उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 126 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बंशी लाल कलवार अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

हाल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खसरा नम्बर 1244 रकबा 2.61 है0, खसरा नम्बर 3028 रकबा 0.0800, खसरा नम्बर 6128/3028 रकबा 0.14 है0 गै. मु. आबादी में "उर्फ शंकर" को विलोपित कर किशना पुत्र मांगीलाल जाट दर्ज राजस्व अभिलेख करने हेतु तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है ।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .. .. की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 01 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....10.1.21.......

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.

स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अदालत मेहनतान वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजरायहुक्मनामा अन्य मिजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए